

--:आदेश:-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 05 दिनांक 09.01.2025 द्वारा नवचयनित नर्सिंग अधिकारी के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये गये हैं, में निदेशालय के आदेश क्रमांक 49 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण किये जाने हेतु दिनांक 18.03.2025 तक अभिवृद्धि की गई थी, में दिनांक 09.04.2025 तक अभिवृद्धि की जाती है। शेष आदेश यथावत।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक: राजहैल्थ/टी.सी./30806/2025/54 दिनांक: As Per Signature
प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), मुख्यालय।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/3) विभाग, राज0 जयपुर।
6. समस्त संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
7. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
9. समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी।
10. नवनियुक्त अभ्यर्थी द्वारा विभागीय वेबसाईट।
11. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2025.03.18 10:00:15 IST
Reason: Approved

